



BM 613788

समक्ष : लखनऊ विकास प्राधिकरण

साम्यापूर्ण (Equitable) बन्धक विलेख

यह बन्धक-विलेख आरोही कान्स्ट्रक्शन प्रा० लि० जो कि कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत एक कम्पनी है जरिये डायरेक्टर श्री मनीष जैन आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र स्व० सुभाष जैन, पता आरोही प्लाजा, द्वितीय तल, सी०पी०-1, विकास खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ (जिसे इस विलेख में आगे प्रथम पक्ष/बन्धककर्ता कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक उसे प्रतिकूल भाव में प्रयुक्त न किया गया हो प्रथम पक्ष/बन्धककर्ता कम्पनी स्वयं उसके प्रशासकों, अधिशासकों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा)।

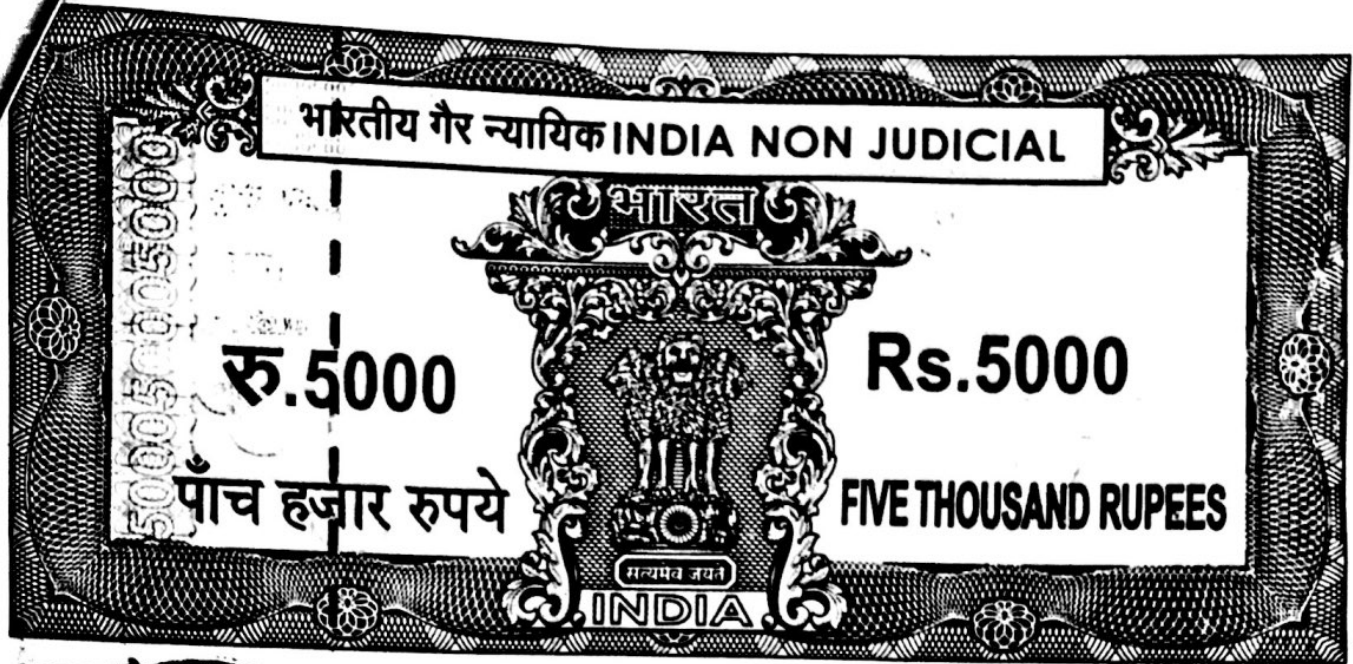
R. C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collector's Court
Lucknow U.P. India
Regd. 31/6/2000

For Aarohi Constructions Pvt. Ltd.

Director

.....प्रथम पक्ष

24.2.16
राहुल श्रीवास्तव
अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 613794



के द्वारा

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ जरिये सचिव, कार्यालय स्थित नवीन प्राधिकरण भवन विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (जिसे इस विलेख में आगे "(द्वितीय पक्ष/बन्धकदार" कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक उसे विपरीत भव में प्रयुक्त न किया गया हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उसके प्रशासकों, अधिशासकों एवं विधिक प्रतिनिधियों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया।

R. C. VERMA
Adv & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. India
Regd. 31/8/2006

For Aarohi Constructions Pvt. Ltd.

Director

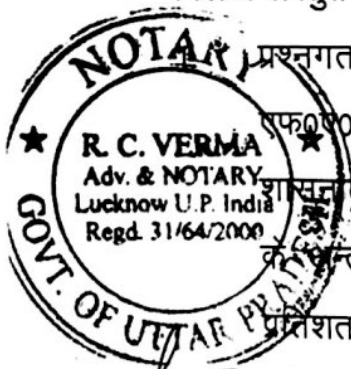
राहुल श्रीवास्तव
अधिशासी अभियन्ता

चुंकि प्रथम पक्ष/बन्धककर्ता कम्पनी मै0 आरोही कान्सट्रक्शन प्राइवेट लि0 द्वारा भूखण्ड संख्या-सी0पी0-5, विकास खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से क्रय किया था, इस प्रकार प्रथम पक्ष/बन्धककर्ता कम्पनी उपरोक्त भूखण्ड की मालिक, कामिल व काबिज मौजूद है।

चुंकि प्रथम पक्ष/बन्धककर्ता कम्पनी मै0 आरोही कान्सट्रक्शन प्राइवेट लि0 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के लिए भूखण्ड संख्या- सी0पी0-5, विकास खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ पर व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत क्रय योग्य एफ0ए0आर0 मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी समिति की बैठक, दिनांक 30.05.2015 एवं एल0ए0आर0 समिति की बैठक दिनांक 20.09.2015 के क्रम में प्रदान की गयी है।

उपरोक्त विषयगत प्रथम पक्ष द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ बन्धक विलेख प्रस्तुत किया है-



R. C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. India
Regd. 31/64/2000

प्रश्नगत क्रय योग्य एफ0ए0आर0 मानचित्र की स्वीकृति उपरान्त क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क रू0 5,36,08,300.00 अवधारित किया गया है। जिसे शासन देश संख्या-1777/8-3-15-09 विविध/2014 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष द्वारा कुल देय क्रय योग्य एफ0ए0आर0 का 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1,34,02,075 जमा कर दिया गया है तथा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रू0 4,02,06,225 पर 12 प्रतिशत दर से ब्याज सहित 8 त्रैमासिक किश्तों (प्रत्येक किश्त रू0 57,27,634.00) में जमा कराया जाना है। किश्तों को जमा करने की तिथि लेखा/गणना अनुभाग द्वारा किया

For Aarohi Constructions Pvt. Ltd.

Director

12/2.16
राहुल श्रीवास्तव
अधिसायी अधिकारी

जा चुका है तथा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति दिनांक 14.12.2015 को प्रदत्त की जा चुकी है।

2. क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की अवशेष राशि रू0 4,02,06,225.00 जो आठ त्रैमासिक किश्तों में निर्धारित तिथि को जमा किया जाना है कि गारण्टी हेतु प्रथम द्वारा समानुपातिक व्यवसायिक स्थल, जो उपरोक्त क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानचित्र के अनुसार निर्माण कराया जाना है को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास प्रतिभूति के रूप में बन्धक रखा जाता है, जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में विस्तार से स्पष्ट करते हुए मानचित्र संलग्न किया गया है जो इस विलेख का एक अंग है।

3. यह कि अवशेष क्रय योग्य एफ0ए0आर0 प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित अवधि में न जमा करने पर द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बन्धक व्यवसायिक स्थल को विक्रय करके प्राप्त विक्रय मूल्य से अवशेष क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क को पूरा कर ले।

4. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिभूति के रूप में बन्धक रखा गया व्यवसायिक स्थल को बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण की लिखित अनुमति के किसी भी विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पक्ष में भूखण्ड संख्या-सी0पी0-5 विकास खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ पर क्रय योग्य एफ0ए0आर0 मानचित्र के अनुसार निर्मित 1443 वर्ग मीटर व्यवसायिक स्थल जो कि कुल क्रय योग्य एफ0ए0आर0 का 75 प्रतिशत है, को अवशेष एफ0ए0आर0 शुल्क की धनराशि रू0 40206225 (8 त्रैमासिक किश्त, प्रत्येक किश्त रू0 5727634.00) की प्रतिभूति के रूप में साम्यापूर्ण (Equitable) बन्धक रखा गया है।

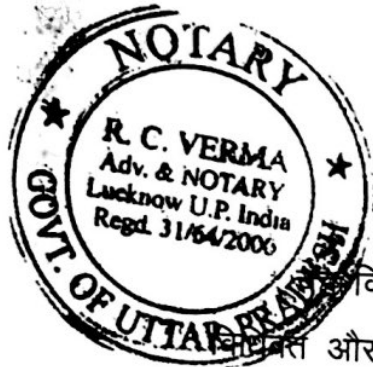
For Aarohi Constructions Pvt. Ltd.

Director

14/12/16
राहुल श्रीवास्तव
अधिसारी अधिकता

बन्धककर्ता यह भी इकरार और बाध्य करते हैं कि एतद द्वारा बन्धक रखी गयी सम्पत्ति का किसी भी समय उनके द्वारा संक्रमण नहीं किया जायेगा और न ही सम्पत्ति किसी प्रकार से अधिकार ग्रस्त की जायेगी, यह बन्धक विलेख न केवल प्रथम पक्ष, उसके अन्य निष्पादकों एवं समनुदेशिकों पर भी बाध्यकारी होगा।

24.2.16
(द्वितीय पक्ष) श्रीवास्तव
अधिरासी अभियन्ता
बन्धकदार



शपथी
For Aarohi Constructions Pvt. Ltd.
Director
(प्रथम पक्ष)
बन्धककर्ता

सत्यापन

कि प्रथम पक्ष के अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में मैं बन्धककर्ता ने निम्नलिखित और पूर्ण जानकारी में मैं बन्धक विलेख निष्पादित कर दिया है और इस विलेख के अर्थ, तात्पर्य तथा अभिप्राय को पूरी तौर पर समक्ष कर प्रथम पक्ष (बन्धककर्ता) एवं द्वितीय पक्ष (बन्धकदार) द्वारा आज दिनांक को हस्ताक्षर बनाकर उपरोक्त साम्यापूर्ण बन्धक विलेख को हस्ताक्षरित कर सत्यापित किया जा रहा है।

24.2.16
(द्वितीय पक्ष) श्रीवास्तव
अधिरासी अभियन्ता
बन्धकदार

For Aarohi Constructions Pvt. Ltd.
Director
(प्रथम पक्ष)
बन्धककर्ता

स्थान-लखनऊ।
दिनांक-.....
गवाह

SIGNATURE ATTESTED

24/2/16
R. C. VERMA
Adv. & NOTARY
Court for Civil Cases
Lucknow U.P. India
Regd. 31/64/2006